

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./सी/64/2011/601
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2-8-11

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अध्यापक संवर्ग के लिए लागू की गई अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में।

—000—

विषयांतर्गत स्थानीय निकायों यथा पंचायत/नगरीय निकायों के अध्यापक संवर्ग के त्रिष्ट अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के लिए दिनांक 01.04.11 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 05.07.11 को संचालनालय लोक शिक्षण में एन.एस.डी.एल. मुंबई के अधिकारियों के साथ आगोष्ठित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही आपके स्तर से की जाना है।

1. अध्यापक संवर्ग के लिए माह अप्रैल 11 के बाद से जिन अध्यापकों को एन.एस.डी.एल. द्वारा स्थाई सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक PRAN नंबर आवंटित हो गया है। उन्हीं के वेतन देयक से अंशदान की राशि का कटौती किया जाए तथा जिन अध्यापकों को PRAN नंबर आवंटित नहीं हुआ है उन अध्यापकों के वेतन से अंशदान की राशि नहीं काटी जाए।
2. माह अप्रैल 2011 के स्थिति अनुसार 94361 अध्यापकों के प्रोविजनल प्रान नंबर साफ्ट कापी डाटा के आधार पर एन.एस.डी.एल. द्वारा बनाये गये हैं। माह अप्रैल 2011 के बाद जिन अध्यापकों को प्रान नंबर आवंटित नहीं हुए हैं, ऐसे अध्यापक स्वयं ही अपने प्रान नंबर, प्रान फार्म प्रिंट भरकर संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिसे जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से एन.एस.डी.एल. द्वारा अधिकृत एजेंसी कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेस, प्रायवेट लिमिटेड, के.के. विजनेस सेंटर, 132, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल- 462011 के माध्यम से PRAN नंबर जारी करवाकर पोर्टल में प्रविष्टि करावेंगे।
3. एन.एस.डी.एल. द्वारा डी.डी.ओ. वार अध्यापकों के PRAN किट अधिकृत एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित जिले के डी.डी.ओ. को पितरित करने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।




(अशोक वर्णवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठा क्रमांक/शि.क./सी/64/2011/602
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 2-8-11

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, पेंशन, भविष्यनिधि एवं वीना, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, 26 किसान भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड भवन, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त कोष एवं लखा, पर्यावास भवन, भोपाल।
5. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
7. प्रबंधक, कार्बी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेस, प्रायवेट लिमिटेड, के.के. बिजनेस सेंटर, 133, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल- 462011



आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.